# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

**(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)**
**प्रकरण संख्या – 92/2017 प्रार्थना पत्र**

1. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी लादूलाल बैरवा निवासी पंडेर, पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम 1. ग्राम पंचायत पंडेर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पंडेर, पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा

– विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 सपठित धारा 114 सि.प्र.सं. निर्णय दिनांक 22.02.2017 प्रकरण सं. 12/2016 निगरानी ग्राम पंचायत पंडेर बवाम श्रीमती सोहनी देवी**

उपस्थित –
1. श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विभागीय प्रतिनिधि – विपक्षी की ओर से

## निर्णय

दिनांक 24.04.2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 सपठित धारा 114 सि.प्र.सं. निर्णय दिनांक 22.02.2017 प्रकरण सं. 12/2016 निगरानी के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी की ओर से दिनांक 23.02.2016 को प्रस्तुत निगरानी सं. 12/2016 में अंकित आधारों के समर्थन में वर्णित पटटा जारी हाने से पूर्व प्रार्थीया के पास पक्का आवासीय मकान होने के समर्थन में कोई अभिलेख विपक्षी निगराकार की ओर से निगरानी के साथ प्रस्तुत नही किये गये। उक्त वर्णित निगरानी में प्रार्थीया के बी.पी.एल. में चयनित नही होने जैसा कोई आधार नही लिया गया। जबकि प्रार्थीया वर्ष 2002 के पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे की होकर प्रार्थीया का बी.पी.एल. में चयन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत निगरानी 12/2016 के निर्णय में प्रार्थीया को बी.पी.एल. में चयनित नही होना मानकर उसके पक्ष में निशुल्क पटटे को अपास्त करने का निर्णय पारित किया गया है जो निगरानी में अंकित तथ्यों के प्रतिकूल होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया को उक्त वर्णित निगरानी में पारित निर्णय की जानकारी होते ही यह रिव्यू प्रार्थना पत्र नियमानुसार पेश किया है। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी सं. 12/2016 में दिनांक 22.02.2017 को पारित निर्णय को प्रार्थीया के बी.पी. एल. होने की वस्तुस्थिति के रूबरू रिव्यू किया जाकर निर्णित करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.05.2017 को पंजीकृत करते हुये विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 07 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत निगरानी 12/2016 के निर्णय में प्रार्थीया को बी.पी.एल. में चयनित नही होना मानकर उसके पक्ष में निशुल्क पटटे को अपास्त करने का निर्णय पारित किया गया है जो निगरानी में अंकित तथ्यों के प्रतिकूल होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। निवेदन हैं कि प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी सं. 12/2016 में दिनांक 22.02.2017 को पारित निर्णय को प्रार्थीया के बी.पी.एल. होने की वस्तुस्थिति के रूबरू रिव्यू किया जाकर निर्णित करने का आदेश फरमाया जावे।

विपक्षी प्रतिनिधि ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका सर्वथा मिथ्या, आधारहीन होने से निरस्तनीय हैं। उक्त निगरानी प्रकरण दिनांक 22.02.2017 को स्वीकार की जाकर पटटा सं. 13/554 दिनांक 20.10.2014 को निरस्त कर दिया गया । जिसके विरूद्व प्रार्थी ने उच्च न्यायालय में कोई भी रिट अथवा अन्य कोई कार्यवाही नहीं करायी । पुनर्विलोकन का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वारा प्रार्थी का पटटा निरस्त किये जाने में किसी भी विधि एवं तथ्यों की भूल नहीं की है। जिससे प्रार्थी द्वारा पेश किया गया पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निराधार होने से निरस्तनीय हैं ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । रिव्यू (पुनरीक्षण) का अवसर विस्तार – "यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रकियाओं में ठीक किया जा सकता है , परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए. आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– " Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons."

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं । निगरानी प्रकरण सं. 12/2016 में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण को दिनांक 22.02.2017 को ही निर्णित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता है,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

जो पोषणीय नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के कोई आधार नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। **अतएव–**

## आदेश

प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 12/2016 निर्णय दिनांक 22.02.2017 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण सं. 12/2016 निर्णय दिनांक 22.02.2017 में प्रथम दृष्टतया कोई अशुद्वि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं । प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में नये तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय को परिवर्तित कराना चाहता हैं । जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)